सीधी (मध्य प्रदेश) के चार बैल इस संदूषित एवं विषाक्त पानी पीने के कारण मर गए?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं। कोयला कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि खान क्षेत्र के जल की नदी में निकासी किये जाने से पूर्व सामान्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ख) आमतौर पर समीप के ग्रामीणों द्वारा कुंओं तथा ट्यूबवैलों के जल सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु कोयला कंपनी को इस बात की जानकारी नहीं है कि "बिजूर" नाले का जल भी उनके द्वारा पीने के प्रयोग से लाया जाता है।

(ग) 4 बैलों की मृत्यु होने संबंधी ऐसी किसी दुर्घटना की कोयला कंपनी को सूचना नहीं मिली है।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदूषित पेय जल के कारण मौतें

1488. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०, सिंगरौली, जो कोल इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी है, के अंतर्गत झिगुरदह परियोजना क्षेत्र मे स्थित एक कूप से प्रदूषित पानी पीने के कारण अगस्त-सितम्बर, 1996 में अनुसूचित जनजाति के नौ लोगों की मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा एवं अन्य राहत प्रदान करने के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। झिगुरदह परियोजना में ऐसी कोई मौत नहीं हुई थी। किंतु दिनांक 7 अक्तूबर, 1996 को इस आशय की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि परियोजना से लगभग 5 कि० मी० दूर अवस्थित एक गांव में कुछ व्यक्ति गैस्ट्रो इन्टराइटिस (आंत्र शोथ) से पीड़ित हैं। गांववासियों ने भी यह सूचित किया कि विगत दो महीनों में 9 व्यक्तियों की मौत गैस्ट्रो इन्टराइटिस से हुई है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा उस स्थल पर चिकित्सक दल भेजा गया। उक्त गांव के कुओं को क्लोरिनीकृत कर दिया गया तथा गांव में तथा उसके चारों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया गया है। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० के अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। कंपनी द्वारा निरोधी उपायों को किए जाने के बाद मृत्यु से संबंधित किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

कोयले की मांग और खपत

1489. **श्री अजीत जोगी:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इस समय देश में कोयले की राज्य-वार अनुमानित मांग और खपत कितनी-कितनी है;

(ख) इस समय देश में कोयले का अनुमानतः कितना उत्पादन होता है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान, स्थान-वार कितनी नई कोयला खानों का पता लगाया गया;

(घ) इन खानों में उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) कोयले की आवश्यकताओं को समग्र देश के लिए औद्योगिकी/क्षेत्र-वार मूल्यांकित किया जाता है। इन्हें राज्य-वार मूल्यांकित नहीं किया जाता है। कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति संबद्ध प्रायोजन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रायोजनों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा कार्यक्रमों के आधार पर तथा उनकी हकदारी की सीमा तक की जा रही है। विद्युत तथा सीमेंट उद्योगों को कोयले की आपूर्ति स्थाई संयोजन समिति द्वारा स्थापित किए गए अल्पावधि संयोजनों के आधार पर की जाती है।

कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार किए जा रहे कोयले का प्रेषण संबंधी ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं। (नीचे

देखिए)

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में कोयले का प्रत्याशित उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:—

	(मिलियन टन में) (आंकड़ा अनंतिम)
कोल इंडिया लि०	252.00
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०	30.20
इस्को/टिस्को/डी०वी०सी०	6.45
	288.65

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० में पिछले एक वर्ष में स्वीकृत नई कोयला खान, जिनकी प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रू० तथा उससे अधिक की है, तथा पूंजीगत परिव्यय तथा निर्धारित कोयला उत्पादन प्राप्त किए जाने संबंधी वर्ष का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:—

परियोजना	स्थल	स्वीकृत लागत (करोड़ रु० में)	निर्धारित क्षमता प्राप्त करने का वर्ष
1. राजमहल क्षमता ओपीटी ओ० का०	ईकोलि/बिहार	46.86	3/2002
2. के०डी० हेंसलांग ओ०का०	सेकोलि/बिहार विस्तार	273.41	3/2000
3. पौनी ओ०का०	वे०को०लि०	45.63	3/2001
4. नाहरिया भू०ग०	वे०को०लि०/म०प्र०	46.17	3/2004
5. महान ओ० का०	सा०ई०को० लि०/म०प्र०	41.95	3/2002
6. दीपका विस्तार ओ० का०	सा०ई०को० लि०/म०प्र०	462.07	3/2002
7. रविंद्र खानी, न्यू टेक० भू०ग०	सिं०को०कं० लि०/आ०प्र०	242.94	3/2003
8. के०टी०के० 9 एवं 9 ए	सिं०को०कं० लि०/आ०प्र०	43.41	3/2005
9. के०टी०के०-3 इन्कलाइन	सिं०को०कं० कलि०/आ०प्र०	37.50	3/2003
10. वार्य०सी०ओ०का० डी० ब्लाक	सिं०को०कं० लि० आ०प्रा०	28.18	3/2000

विवरण

1995-96 के दौरान राज्य-वार/क्षेत्र-वार प्रेषण

अनंतिम (आंकड़े लाख टन में)

राज्य/क्षेत्र	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र	अन्य	जोड़
पश्चिम बंगाल	164.20	33.48	0.05	0.28	1.82	0.93	24.43	225.19
बिहार	76.23	41.31	2.06	10.22	0.11	0	66.85	196.78
उत्तर प्रदेश	339.92	0	1.86	3.64	1.35	0.16	61.50	408.43
उड़ीसा	29.92	26.43	2.49	7.1	5.16	0.18	70.96	142.24
मध्य प्रदेश	308.46	34.97	29.59	0	3.12	3.15	27.66	406.95

महाराष्ट्र	277.70	0	10.1	0	4.62	2.26	6.85	301.53
गुजरात	136.84	0	5.13	2.01	0.75	2.07	4.75	151.6
राजस्थान	39.1	0	10.07	3.35	0	1.07	3.69	57.28
दिल्ली	49.84	0	0.06	0	0	0.03	1.88	51.81
पंजाब	63.83	0	0	6.73	0.02	0.1	6.33	77.01
हरियाणा	25.62	0	0.9	3.26	0.97	0	1.91	32.66
तमिलनाडु	101.67	0	4.08	0	1.04	0.28	1.31	108.38
आंध्र प्रदेश	215.00	19.48	22.57	5.16	1.54	0	30.70	294.45
कर्नाटक	34.44	0	16.30	0	3.11	0.01	1.42	55.28
केरल	0	0	0.69	0	0.96	0.05	0.27	1.97
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0.23	0	0	0	1.44	1.67
हिमाचल प्रदेश	0	0	2.84	0	0	0	0.72	3.56
आसाम	4.01	0	0.05	0	1.39	0	2.22	7.69
अन्य	0.77	0	0	0.28	0.72	0.08	46.09	47.97

जोड़: 2572.45

Acquisition of mines by Government

1490. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) number of coal mines/areas so far acquired by Government/nationalised coal sector under Sections 7(1) and 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957;

(b) number of such acquired coal mines/areas, where mining activity has not been undertaken so far; and

(c) number of these mines/areas whose leases/deed leases are not valid in terms of Section 4 (a) (4) of Mines and Minerals (Regulations & Development) Act, 1957?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) An area of 92645.01 hectares in All Rights and 95330.74 hectares in Mining Rights have so far been acquired by the Government/ nationalised coal sector u/s 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957. No acquisition is done u/s 7(1) of the said Act.

(b) Mining activity has not been undertaken so far on an area of 8679.487 hectares in All Rights and 3693.45 hectares in Mining Rights.

(c) Question does not arise as the areas have been acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.

कोयला खानों के विस्तार हेतु विश्व बैंक का ऋण

1491. **श्री रामजी लाल:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कब और कितनी ऋण-राशि ली गई; और

(ग) इस ऋण से कोलियरीज़ का कितना विस्तार किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी हां। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, जोकि कोल इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी है, की गेवरा ओपनकास्ट परियोजना का विस्तार किए जाने हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है।